08

संख्या– /XXVIII–4–2013–44(10)/2012

प्रेषक,

अतर सिंह
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 **देहरादून : दिनांक 28 फरवरी, 2013**

विषय– सचल चिकित्सा वाहनों के संचालन/प्रबन्धन हेतु प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–16प/वाहन/5/2008/1244 दिनांक 02.02.2013 एवं पत्र संख्या–16प/वाहन/5/2008/1245 दिनांक 02.02.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचल चिकित्सा वाहनों के संचालनार्थ माह अक्टूबर एवं नवम्बर हेतु अनुमोदित धनराशि में से ₹13,65,486 की कटौती करते हुये माह अक्टूबर के लिये ₹7,36,085 एवं माह नवम्बर के लिये ₹6,27,725 इस प्रकार कुल ₹13,63,810/–(₹ तेरह लाख तिरसठ हजार आठ सौ दस मात्र) के भुगतान हेतु **₹13.64** लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर सचल चिकित्सालयों के संचालन हेतु संचालनकर्ता फर्म को उनके साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा स्वीकृत दरों के अनुरूप नियमानुसार देय धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की जायेगी ।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28.03.2012 एवं 193/XXVII(I)/2012 दि0 30.03.2012 एवं 321/XXVII(I)/2012 दि0 19.06.2012 में दी गई इंगित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
3. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सचल चिकित्सा वाहनों का संचालन एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जा रहा है
4. भविष्य में धनराशि के प्रस्ताव के साथ सभी जनपदों की औचक निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायी जायेगी एवं पूर्व इंगित कमियों को ठीक किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं तद्नुसार कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।
5. सेवा प्रदाता फर्म को उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित लेखा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. वाहनों में स्टॉफ की अनुपलब्धता एवं मशीनों के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यदायी संस्था को स्टॉफ की उपलब्धता एवं खराब मशीन को तत्काल ठीक कराने हेतु नोटिस दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. सचल चिकित्सा वाहनों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में यदि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित फर्म द्वारा समयबद्ध कार्यवाही न की जा रही हो, तो अनुबन्ध के शर्तों के अधीन उसके विरूद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06–लोक स्वास्थ्य 101–रोगो का निवारण तथा नियंत्रण 99–राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–229(P)/XXVII(3)/2012–13 दिनांक 28फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या– १५७ (1)/XXVIII–4–2013–44(10)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड, देहरादून उत्तराखण्ड ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6. मैसर्स राजभरा मेडिकेयर, एन–18ए, द्वितीय तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110 016
7. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3 एंव 1/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
9. चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव